न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,रायपुर (ब्यावर)

पीठासीन अधिकारी :—श्री गुलाब सिंह वर्मा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 60/2014

प्रकरण दर्ज तिथि :— 24.06.2014

जीसीएमएस नम्बर :— 2014/00081

वादी

1.भंवरसिंह पुत्र पाबूसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी बूटीवास फौत होने से वारिसान

1.1 रतनसिंह पुत्र स्वर्गीय भंवरसिंह

1.2 नौरती पुत्री स्वर्गीय भंवरसिंह

1.3 राजू सिंह पुत्र स्वर्गीय भंवरसिंह फौत जिसके कायम मुकाम

1.3.1 विशाल पुत्र स्वर्गीय राजूसिंह

1.3.2 राजूकंवर पत्नि स्वर्गीय राजूसिंह जातिगण रावणा राजपूत निवासीगण बूटीवास तहसील रायपुर

बनाम

प्रतिवादी

1.सुगनाई पत्नी नारायणसिंह जाति दरोगा निवासी बूटीवास तह. रायपुर

2.पारससिंह पुत्र नारायणसिंह जाति दरोगा निवासी बूटीवास तह. रायपुर

3. समुन्द्रसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति दरोगा निवासी बूटीवास तह. रायपुर

4.गोरधनसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति दरोगा निवासी बूटीवास तह. रायपुर जिला पाली

5. श्रीमान तहसीलदार महोदय लैण्ड होल्डर तहसील रायपुर जिला पाली

6.श्रीमान उपपंजीयन अधिकारी महोदय उपपंजीयन कार्यालय सेन्दडा

7.श्रीमान जिला कलक्टर महोदय पाली

8जसवंतसिंह पुत्र कानसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी बगडी हॉल रायपुर जिला रायपुर

दावा बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित 1 श्री भूपैन्द्र सैन अधिवक्ता वादी उपस्थित

2 प्रतिवादीगण अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः **02.04.2025**

वादी की ओर से वकील द्वारा दावा बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया है। वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि सरहद मौजा बूटिवास तह. रायपुर जिला पाली मे निम्न वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर. 270 रकबा 04 बीघा 09 बिस्वा चा.दो. खसरा नम्बर. 271 रकबा 05 बीघा 07 बिस्वा चा. दो.खसरा नम्बर. 272 रकबा 03 बीघा बिस्वा चा.दो.खसरा नम्बर. 274 रकबा 17 बीघा 14 बिस्वा चा.दो. खसरा नम्बर. 727 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा चा.दो.खसरा नम्बर. 728 रकबा 00 बीघा 01 बिस्वा गै.मु. खसरा नम्बर. 729 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा चा.दो.खसरा नम्बर. 730 रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा चा.दो. खसरा नम्बर. 784 रकबा 00 बीघा 12 बिस्वा बा.दो.खसरा नम्बर. 785 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा चा.दो. खसरा नम्बर. 786 रकबा 00 बीघा 16 बिस्वा चा.दो.खसरा नम्बर. 787 रकबा 20 बीघा 12 बिस्वा चा.दो. खसरा नम्बर. 788 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा गै.मु..खसरा नम्बर. 789 रकबा 20 बीघा 14 बिस्वा चा.दो. खसरा नम्बर. 790 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा चा.दो.खसरा नम्बर. 832 रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा चा.दो. खसरा नम्बर. 833 रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा चा.दो.खसरा नम्बर. 834 रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा चा.दो. खसरा नम्बर. 835 रकबा 10 बीघा 03 बस्वा गै.मु.खसरा नम्बर. 836 रकबा 08 बीघा 08 बिस्वा चा.दो. खसरा नम्बर. 837 रकबा 04 बीघा 17 बिस्वा चा.दो.खसरा नम्बर. 838 रकबा 05 बीघा 15 बिस्वा चा.दो. खसरा नम्बर. 839 रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा चा.दो.खसरा नम्बर. 840 रकबा 05 बीघा 19 बिस्वा चा.दो. खसरा नम्बर. 841 रकबा 16 बीघा 00 बिस्वा चा.दो. कुल खसरा 25 कुल रकबा 149 बिघा 01 बिस्वा आयी हुई है। उक्त आराज बेरा को माना बेरा से जाना जाता है। जिसकी जमाबंदीयो वाद पत्र के साथ पेश है। जिसे वाद का आवश्यक भाग समझा जावे। उक्त कृषि भूमि को को आगे वाद मे वादग्रस्त आराजी से संबधित किया जावेगा। वर्णित वाद ग्रस्त आरजी वादी की माता पतासी देवी पत्नी पाबूसिंह के नाम से खातेदारी चली आ रही थी जिसमे पतासीदेवी का वादग्रस्त आरजी मे 1/8 वा हिस्सा

गुलाब सिंह

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

रायपुर (ब्यावर)

अर्थात् 18.63 बिघा भूमि मय कूआ चली आ रही थी। उक्त बेरा का नाम माना बेरा के नाम से चला आ रहा है। जिसकी जमाबन्दी संवत् 2030–2033 व 2034–3037 व2037–2040 व 2042 से 2053 तक मे पतासी के हिस्से को लेकर ही अन्य सहकाश्तकार के हिस्से को लेकर कोई विवाद नही है इसलिए सहकाश्तकारो को पक्षकार नही बनाया है। वादग्रस्त आराजी पतासी देवी बेवा पाबू कौम दरोगा की खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि थी व खातेदारी पतासी देवी के नाम से जारी की गई जमाबदी की प्रमाणित नकल वाद के साथ पेश है जिसे वाद का आवश्यक भाग समझा जावे। वादग्रस्त आराजी पादी के माता की चली आ रही थी। ओर वादी की माता के देहान्त के बाद वादग्रस्त आराजी वादी के हक हिस्से की भूमि चली आ रही है। ओर वादी का कब्जा काश्त बिना किसी रोक टोक के शान्ति पूर्वक सबकी जानकारी मे चली आ रही है। पतासी देवी बेवा पाबू जाति रावण राजपूत का देहान्त हो चुका है। जो काफी वर्ष हो चुके है। वादग्रस्त कृषि भूमि जिसके खातेदार काश्तकार पतासी थी। पतासी के कोई जायन्दा पुत्र नही था इसलिए वादी भंवरिया को पतासी देवी ने हिन्दू रित रिवाज अनुसार जब वह दो वर्ष का था तब ही गोद ले लिया था। जिसका गोदनामा रूपी वसीयत दिनांक 21.06.1954 रजिस्टर्ड पंजीयन करवाया गया था ओर उक्त गोदनामा रूपी वसीयत मे पतासी देवी की तमाम जायदाद का एक मात्र मालिक भंवरिया को दे दिया। ओर गोदनामा मे अंकित किया की मेरी बापी का भेरा भेरूर व बेरा माना सरहद बूटिवास मे है उन बेरा मे बापी बंट है ओर मौजूदा काश्त है उस का मालिक अब से भंवरिया होगा। इस प्रकार पतासी देवी ने अपने जीवनकाल मे गोदनामा मय वसीयत के जरिये उक्त वादग्रस्त आराजी को भंवरिया को दे दिया था इसलिए पतासी के फौत हाने पर उसका एकमसत्र मालिक भंवरिया रहा। गोदनामा मय वसीयत की प्रमाणित प्रति वाद के साथ पेश है। जिसे वाद का आवश्यक भाग समझा जावे। पतासी कर पुत्रीयो का किसी प्रकार का हक हिस्सा नही रहा। वंशावली अनुसार वादग्रस्त आरजी के स्व. पतासी के फौत होने के बाद उनकी वादग्रस्त कृषि भूमि मे माफिक गोदनामा मय वसीयत के अनुसार वादी बातौर उत्तराधिकारी के वादग्रस्त भूमि के काबिज खातेदार काश्तकार है। ओर गोदंनामे के अनुसार उक्त वादग्रस्त आराजी का एक मात्र मालिक वादी ही चला आ रहा है। पतासी के फौत होने के पश्चात् उसके खातेदार वादग्रस्त कृषि भूमि कर खातेदारी अधिकार गोदनामा अनुसार वादी है जो जाति से हिन्दु है। उनकें परसर्नर लॉ के अनुसार खातेदारी राईट पतासी के पुत्र वादी उत्तराधिकारी को प्राप्त हुए मगर पटवारी हल्का बुटीवास द्वारा गोदनामा मय वसीयतनामे को छुपा कर व उसकी अनदेखी का म्यूटेशन संख्या 779 के द्वारा प्रतिवादी स. 1 व सुखी के नाम ही गलत व गैर कानूनी रूप से भरा गया है। वादी जो स्व.पतासी का गोदपुत्र है के नाम म्यूटेशन मे दर्ज नही किये गए उक्त वाद म्यूटेशन के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 व सुखी का नाम जमांबदी खातोनी संवत् 2054–2056 की वादग्रस्त आराजी मे अमल दरामद का दिया । जबकि वादी जो स्व.पतासी के वादी गोदपुत्र है जिनका बराबर बराबर हिस्से के बातौर वारीसान हिन्दू उत्तराधिकार गोदनामा मय वसीयत के माफिक दर्ज किया जाना आवश्यक था परन्तु बिना विधिक प्रकिया तथा बिना वादी को नोटिस दिए ही स्व पतासी देवी जी के वारिसान के रूप मे प्रतिवादी सुगनाई व सुखी के नाम ही दर्ज किया गया जो नामान्तरण 799 काविले निरस्त है। जमाबन्दी व म्यूटेश्न की प्रमाणित प्रति वाद के साथ पेश है। जिसे वाद का आवश्यक भाग समझा जावे। वादग्रस्त कृषि भूमि मे पतासी के हक हिस्से की भूमि है तथा पतासी देवी ने दिनांक 21.06.54 को उक्त गोदनामा मय वसीयत मे अपनी अन्तिम इच्छा लिखिम रूप मे जाहिर की ओर अपने अंगूठा निशान कर पंजीयन करवाया कि उक्त वादग्रस्म सम्पति का मालिक भंवरिया होगा। इसलिए पतासी के फौत होने पर स्वतः ही वादी खातेदार हो चुका है। तदाानुसार वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा गोदनामा के अनुसार सम्पूर्ण हिस्सा ही वादी का बातौर उत्तराधिकार के खातेदार काश्तकार हुये है। तथा वादग्रस्त आराजी मे वादी का पुश्तैनी समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त गोदनामा मय वसीयत के अनुसार प्रतिवादी सख्या 1 का किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा नही आता है किन्तु एक बार प्रतिवादी सख्या 1 का हिस्सा 1/2 हिस्सा मान भी लिया जाये ओर वादी का 1/2 हिस्सा भी मान लिया जावे तो भी उक्त वादग्रस्त आराजी के पतासी के 1/8 हिस्से पर लगभग 50 वर्षो सं वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है इसलिए एडवर्ड पजेशन के आधार पा वादी खातेदार काश्तकार चला हो चुका है। अर्थात् वादग्रस्त आराजी सम्पूर्ण वादी की चली आ रही है केवल फौतेदगी म्यूटेशन मे वादी का नाम दर्ज नही करने सें वादी के वादग्रस्त आराजी मे 1/2 हिस्से का अधिकार समाप्त नही होते है वादी स्व.पतासीदेवी के 1/8 हिस्से के काविज खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी एक सुखी के पक्ष मे भरा हुआ म्यूटेशन स. 779 काविले निरस्त है तथा सुखी के फौत के बाद वादी सख्या 1 के नाम भरा गया नामान्तरण वादी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (बावर)

के हितो के विरूद्व बेअसर है तथा अवैध व गैर कानूनी है एंव नल एण्ड वोईड है व प्रभाव शून्य है। वादी स्व. पतासी देवी का पुत्र है उनकी उत्तराधिकारी है। वादग्रस्त आराजी पर वादी का वर्षो से कब्जा काश्त उपयोग उपभोग शन्ति पूर्वक बिना किसी रोक टोक के प्रतिवादीगण स 1 से 4 की जानकारी मे चला आ रहा है। जिसका प्रतिवादीगण स 1 से 4 ने कभी भी विरोध व ऐतराज नही किया है। तथा पतासी देवी के फौत होने पर उसका फौतेदगी नामान्तरण सख्या 250 दिनांक 12.10.77 अमलम दरामद किया गया था जिसमे पतासी के पुत्र भंवरिया के नाम नामान्तरण खोला गया था। वादी ने सोचा की सभी भूमियो हेतु नामान्तरण अमल दरामद हो चुका है। किन्तु वादग्रस्त आराजी मे उक्त नामान्तरण 250 के अनुसार वादी का नाम अमल दरामद करना था। या उसके लिये भी नामान्तरण भरना था किन्तु प्रतिवादी संख्या एक ने प्रतिवादी स 2 से 4 के साथ मिलकर तत्कालीन पटवारी हल्का से मिली भक्त कर वादग्रस्त सम्पतियो के लिए नामान्तरण स 779 अकेले अपने नाम व सुखी के नाम भरवा दिया जिसकी जानकारी वादी को कभी नही रही क्योकि पतासी के फौतेदगी नामान्तरण सख्या 250 भरा जा चुका था। ओर उसी अनुसार वादग्रस्त आराजी का भी नामान्तरण खोला जाकर अमल दरामद करना था इसलिए म्यूटेशन स. 779 काबिले निरस्त है। वादग्रस्त आराजी पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसकी जानकारी प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 ने को है किन्तु दिनांक 15.11.13 को प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 आये ओर वादी को कहने लगे की तुझे उक्त भूमि पर फसल बोने नही देंगे ओर बो दी तो काट कर ले जाऐंगे तब वादी ने कहा की उक्त भूमि तो मेरी है तब प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 ने कहा की वादग्रस्त भूमि हमने अपने नाम करवा ली है। तब वादी ने कहा की उक्त भूमि पर मेरा कब्जा काश्त है ओर मेरी है तब वादी ने हल्का पटवारी के पास गया तब जानकारी हुई की उक्त भूमि तो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है जो सरासर गलत है फिर जानकारी दिनांक 3.12. 13 को बेचान रजिस्ट्री की नकल प्राप्त की तब जानकारी हुई । तथा दिनांक 30.04.14 को सम्पुर्ण जमाबन्दीयों की नकल प्राप्त की ओर दिनांक 14.5.14 को म्यूटेशन की नकल प्राप्त हुई तब प्रथम बार सम्पूर्ण जानकारी हुई।वादग्रस्त आराजी पर वादी का कब्जा काश्त की पुस्तैनी जायदाद है परन्तु वादी को अपने हक हिस्से से महरूम करने की नियत से प्रतिवादी सख्या 1 ने खातेदारी मे अपने नाम होने का फायदा उठाते हुए प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 के साथ मिलिभक्त कर उक्त बेचाननामा दिनांक 12. 11.13 को पंजीयन करवाया वो वादी के हक हिस्से तक अवैध व प्रभावशून्य है जबकि प्रतिवादीगण 1 को उक्त वादग्रस्त आराजी के बेचान का कोई अधिकार नही है। उक्त बैचाननामे दिनांक 12.11.13 वादी के हितो व अधिकारो के विरूद्व व प्रभावशून्य है। उक्त कूटचरित बेचाण नामे के आधार पर नामान्तरण संख्या दिनांक भरा गया वो भी वादी के हितो व अधिकारो के विरूद्व होने से अवैध व प्रभव शून्य है। बेचाननामा मात्र वादी के अधिकारो पर कुठारघात करने की नियत से किया गया है जबकि श्रीमती सुगनाई का ना तो कब्जा है ना ही खातेदारी है तो इसलिए वह कब्जा नही दे सकती थी जबकि बेचाननामे मे कब्जा देने व प्रतिफल राशि देने की इन्द्राज गलत कर दिये गये है जबकि उक्त बैचाणनामा बिना प्रतिफल के है इसलिए उक्त बैचाणनामा अवैध व प्रभवशून्य है और वादी उक्त बैचाणनामे से बाध्य नही है तथा वादी के हक हिस्से होने के विरूद्व बेअसर है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 वादी के कब्जां काश्त वादी के कब्जा काश्त उपयोग व उपभेग मे बाधा अडचन करने लग गए कहने लगे की वादग्रस्त आराजी उनकी है वादी का कोई हक व अधिकार नही है तब वादी के तमाम रेकर्ड की नकले प्राप्त की ओर अपने अधिवक्ता को दस्तावेज कर नकले दी ओर दावा तैयार करवाया। जमाबंदी की सम्पूर्ण नकले प्राप्त कि तब वादी का नाम जमाबन्दी मे नही होने की व म्यूटेशन स. 779 दिनांक 14.5.14 को नकल प्राप्त हाने पर सम्पूर्ण जानकारी हुई तब अन्य दस्तावेजो की नकले प्राप्त की तब जानकारी हुई रही। वादी भोला भला अनपढ ग्रामीण आदमी है उन्हे राजस्व रेकार्ड की जानकारी नही रही उन्होने सोचा की उनके नाम रालस्व रेकार्ड मे आ गए होंगे पर उपरोक्त राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित नकले प्राप्त होने पर जानकारी हुई। दिनांक 2.5.14 को प्रतिवादीगण 1 से 4 व 8 वादी को ऐलानिया धमकिया दी कि वादग्रस्त आराजी से बेदखल कर देगे। इसलिए वादी अपने हक व अधिकारो की सुरक्षा हेतु यह वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान न्यायालय मे पेश है। प्रतिवादीगण वादी की वादग्रस्त खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि मे वादी का हिस्से की भूमि मे वादबी काश्त करे या करावे काश्त मुतालिक कार्य करे या रहवास करे इसके लिए किसी प्रकार की दखलअन्दाजी करने व वादग्रस्त भूमि मे प्रतिवादीगण 2 से 3 के नाम म्यूटेशन से नाम आ जाने के आधार पर वादग्रस्त भूमि को बेचान रहन बख्शीश्र करने व सरकारी व अर्दसरकारी ऋण लेने पद आमदा है यदि प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया जाता है तो वादी को असहनीय अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ती किसी कदर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (बावर)

सम्भव नही है व वादी को रूप्यो व पैसो मे ना आके जाने वाली असहनीय अपूर्णीय क्षति होगी। उपरोक्त परिस्थितियो मे वादी के हक मे तथा प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है अन्यथा प्रतिवादीगण वादी को वादग्रस्त भूमि मे आगे बैचाण कर देगे ओर रेकर्ड मे परिवर्तन कर देगे जिससे वादी को पैसो मे ना आंके जाने वाली असहनीय अपूर्णीय क्षति होगी और वादी के साथ भंयकर अन्याय होगा। उपरोक्त वाद का वाद कारण इस माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार मे उपरोक्त वाद के तथ्यो को देखते हूए दिनांक 15.11.14 व 3.12.13. व 30.04.14 व 14.5. 14 व 2.5.14 को उत्पन्न हुआ उसके बाद दिन ब दिन उत्पन्न होता जा रहा है। डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण के घोषणात्मक डिक्री वादग्रस्त आराजीयात में पतासी देवी के 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावा तथा उक्त विषयो मे जो नामान्तरण 997 को प्रतिवादी 1 के नाम खोल दिया गया है उसे तथा उसके अधार पर जो जमाबंदी मे प्रतिवादी स. 1 व सुखी का जो गलत नाम दर्ज हो गया है उन सब को अवैध प्रभवशून्य घोषित करते हुए निरस्त किया जावे तथा खातेदारी के कालम मे से प्रतिवादी सुखी के फौत के बाद उनके उत्ताराधिकारियो के रूप मे भी प्रतिवादी स. 1 का नाम निरस्त किया जाकर राजस्व रेकर्ड मे दुरस्ती फरामायी जावे। उपरोक्त हिस्से अनुसार रेकर्ड मे वादी का नाम अमल दरामद फरमावे। तथा उक्त जमाबन्दी मे गलत नाम दर्ज के आधार पर बेचाण दिनांक 12.11.13 को अवैध प्रभावशून्य घोषित फरमावे व उस आधार पर जो नामान्तरण संख्या भर दिया है उसे अवैध प्रभावशून्य घोषित करते हुए निरस्त फरमावे व उस आधार पर प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का जमाबन्दी के कालम नाम अमल दरामद हो गया उसे निरस्त किया जाकर राजस्व रेकर्ड मे दुरस्ती फरामायी जावे।वादी के हक मे तथा प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 4 के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 व 4 स्वंय तथा जरिये उनके नौकर चाकर दोस्त हाली ऐजेन्ट मुखतियार रिश्तेदार आदि वादग्रस्त आराजी को किसी भी प्रकार सं हस्तांतरित परिवर्तित क्षतिग्रस्त भारग्रस्त ऋणग्रस्त नही करे न करावे न उसका रूपान्तरण करावे। साथ ही वादी के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नही करे न करावे । तथा प्रतिवादीगण संख्या 5,6,7 को पाबंद किया जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 व 4 अथवा उसके मुख्तियार आम के द्वारा किये गए किसी भी हस्तांतरण विलेख विषय मे पंजीकरण करने तथा दाखिल खारिज खोलने की कार्यवाही नही करे न करावे। दौराने वाद किसी प्रकार का कब्जा या हस्तांतरण या दाखिल खारिज कर दिया जाता है तो जरिये मेण्डेटरी व प्रोहिबेटरी आदेश के कब्जा वादी को दिलाया जावे व हस्तांतरण व नामान्तरण निरस्त फरमावें।

वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 से 04 एवं 07 के सम्मन तामिल के बावजूद अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई हैं। पत्रावली में वादपत्र पर वादी भंवरलाल पुत्र पाबूसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी बूटीवास द्वारा पेश मुख्य साक्ष्य परीक्षण का शपथ पत्र पेश किया हैं जो पत्रावली संलग्न किया गया हैं वादी ने अपने साक्ष्य के संबंध में बयान कलमबद्ध कर पत्रावली संलग्न किये गये हैं एवं दस्तावेज प्रदर्श किये गये।

वादी अधिवक्ता ने बहस के दौरान बताया कि ने बताया कि वादग्रस्त आराजी में वादी की माता पतासीदेवी पत्नि पाबूसिंह के नाम से खातेदारी दर्ज चली आ रही थी। जिसमें पतासी देवी का वादग्रस्त आराजी में 1/8 वां हिस्सा 18.63 बीघा भूमि मय कुआ चली आ रही थी। जिसकी जमाबंदी संवत् 2030–2033 व 2034–2037 तथा 2037–2040 व 2042 से 2053 तक मे पतासी बेवा पाबू दर्ज चला आ रहा हैं। वाद सिर्फ पतासी के हिस्से को लेकर ही हैं अन्य सहकाश्तकार के हिस्से को लेकर कोई विवाद नहीं हैं इसलिये सहकाश्तकारों को पक्षकार नहीं बनाया हैं। वादग्रस्त कृषि भूमि जिसके खातेदार काश्तकार पतासी थी। पतासी बेवा पाबू का देहान्त हो चुका हैं जो काफी वर्ष हो चुके हैं। पतासी के कोई जायन्दा पुत्र नहीं था इसलिये वादी भॅवरिया को पतासी देवी ने हिन्दू रिती रिवाज अनुसार जब वह दो वर्ष का था तब ही गोद ले लिया था। जिसका गोदनामा रूपी वसीयत दिनांक 21. 06.1954 रजिस्टर्ड पंजीयन करवाया गया था और उक्त गोदनामा रूपी वसीयत मे पतासी देवी की तमाम

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (प्रावर)

जायदाद का एकमात्र मालिक भँवरिया को दे दिया। लेकिन पटवार हल्का गोदनामा रूपी वसीयत को छुपाकर म्यूटेशन संख्या 779 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 सुगनाई व सुखी के नाम भर दिया जो गलत हैं। उक्त नामान्तकरण संख्या 779 खारिज किया जावें। पतासीदेवी के फौत हाने फौतेदगी नामान्तकरण संख्या 250 दिनांक 12.10.77 को अमल दरामद किया जिसमें पतासी के पुत्र वादी भँवरिया के नाम नामान्तकरण खोला गया था। प्रतिवादीगण संख्या 01 ने खातेदारी में अपने नाम होने का फायदा उठाते हुए प्रतिवादी संख्या 02 से 04 के साथ मिलीभक्त कर उक्त बेचानामा दिनांक 12.11.2013 को पंजीयन करवाया, वो वादी के हितो व अधिकारों के विरूद्ध होने से अवैध व प्रभावशून्य घोषित किया जावें।

अतः वादग्रस्त आराजी में वादी को 1/8 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें एवं साथ ही पटवार हल्का बूटीवास द्वारा भरे हुए नामान्तकरण संख्या 779 को तथा दिनांक 12.11.2013 द्वारा प्रतिवादीगण द्वारा करवाये गये पंजीयन को अवैध एवं प्रभाव शून्य घोषित करने के आदेश फरमाने हेतु निवेदन किया हैं।

बहस समायत की गई।

बहस, उपलब्ध दस्तावेजो एवं पत्रावली के अवलोकन के पश्चात् सरहद मौजा बूटिवास पटवार हल्का बूटीवास भू अभिलेख निरीक्षक बूटीवास के खसरा नम्बर. 270 रकबा 04 बीघा 09 बिस्वा चा.दो. खसरा नम्बर. 271 रकबा 05 बीघा 07 बिस्वा चा.दो.खसरा नम्बर. 272 रकबा 03 बीघा बिस्वा चा.दो.खसरा नम्बर. 274 रकबा 17 बीघा 14 बिस्वा चा.दो.खसरा नम्बर. 727 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा चा.दो.खसरा नम्बर. 728 रकबा 00 बीघा 01 बिस्वा गै.मु.खसरा नम्बर. 729 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा चा.दो.खसरा नम्बर. 730 रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा चा.दो.खसरा नम्बर. 784 रकबा 00 बीघा 12 बिस्वा बा.दो.खसरा नम्बर. 785 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा चा.दो.खसरा नम्बर. 786 रकबा 00 बीघा 16 बिस्वा चा.दो.खसरा नम्बर. 787 रकबा 20 बीघा 12 बिस्वा चा.दो.खसरा नम्बर. 788 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा गै.मु..खसरा नम्बर. 789 रकबा 20 बीघा 14 बिस्वा चा.दो.खसरा नम्बर. 790 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा चा.दो.खसरा नम्बर. 832 रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा चा.दो.खसरा नम्बर. 833 रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा चा.दो.खसरा नम्बर. 834 रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा चा.दो.खसरा नम्बर. 835 रकबा 10 बीघा 03 बस्वा गै.मु.खसरा नम्बर. 836 रकबा 08 बीघा 08 बिस्वा चा.दो.खसरा नम्बर. 837 रकबा 04 बीघा 17 बिस्वा चा.दो.खसरा नम्बर. 838 रकबा 05 बीघा 15 बिस्वा चा.दो.खसरा नम्बर. 839 रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा चा.दो.खसरा नम्बर. 840 रकबा 05 बीघा 19 बिस्वा चा.दो.खसरा नम्बर. 841 रकबा 16 बीघा 00 बिस्वा चा.दो. कुल खसरा 25 कुल रकबा 149 बिघा 01 बिस्वा में वादी को 1/8 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने एवं साथ ही पटवार हल्का बूटीवास द्वारा भरे हुए नामान्तकरण संख्या 779 को निरस्त किये जाने तथा दिनांक 12.11.2013 द्वारा प्रतिवादीगण द्वारा करवाये गये पंजीयन को प्रभावशून्य घोषित किया जाना न्यायोचित समझतें हैं।

आदेश

वादी का वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया सरहद मौजा बूटिवास पटवार हल्का बूटीवास भू अभिलेख निरीक्षक बूटीवास के खसरा नम्बर. 270 रकबा 04 बीघा 09 बिस्वा चा.दो. खसरा नम्बर. 271 रकबा 05 बीघा 07 बिस्वा चा.दो.खसरा नम्बर. 272 रकबा 03 बीघा बिस्वा चा.दो.खसरा नम्बर. 274 रकबा 17 बीघा 14 बिस्वा चा.दो.खसरा नम्बर. 727 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा चा.दो.खसरा नम्बर. 728 रकबा 00 बीघा 01 बिस्वा गै.मु.खसरा नम्बर. 729 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा चा.दो.खसरा नम्बर. 730 रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा चा.दो.खसरा नम्बर. 784 रकबा 00 बीघा 12 बिस्वा बा.दो.खसरा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (प्रावर)

नम्बर. 785 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा चा.दो.खसरा नम्बर. 786 रकबा 00 बीघा 16 बिस्वा चा.दो.खसरा नम्बर. 787 रकबा 20 बीघा 12 बिस्वा चा.दो.खसरा नम्बर. 788 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा गै.मु..खसरा नम्बर. 789 रकबा 20 बीघा 14 बिस्वा चा.दो.खसरा नम्बर. 790 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा चा.दो.खसरा नम्बर. 832 रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा चा.दो.खसरा नम्बर. 833 रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा चा.दो.खसरा नम्बर. 834 रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा चा.दो.खसरा नम्बर. 835 रकबा 10 बीघा 03 बस्वा गै.मु.खसरा नम्बर. 836 रकबा 08 बीघा 08 बिस्वा चा.दो.खसरा नम्बर. 837 रकबा 04 बीघा 17 बिस्वा चा.दो.खसरा नम्बर. 838 रकबा 05 बीघा 15 बिस्वा चा.दो.खसरा नम्बर. 839 रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा चा.दो.खसरा नम्बर. 840 रकबा 05 बीघा 19 बिस्वा चा.दो.खसरा नम्बर. 841 रकबा 16 बीघा 00 बिस्वा चा.दो. कुल खसरा 25 कुल रकबा 149 बिघा 01 बिस्वा में वादी को 1/8 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं साथ ही पटवार हल्का बूटीवास द्वारा भरे हुए नामान्तकरण संख्या 779 निरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा दिनांक 12.11.2013 द्वारा प्रतिवादीगण द्वारा करवाये गये पंजीयन को प्रभावशून्य घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। शेष खाता यथावत रहेगा। तदानुसार डिक्री पर्चा बनाया जाकर पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को तहरीर के साथ प्रेषित किया जावें। पत्रावली फैसल शूमार होकर दर्ज नम्बर से कम हों।

(गुलाब सिंह वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

यह निर्णय आज दिनांक 02.04.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "d" –1)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला ब्यावर
बईजलास :– श्री गुलाब सिंह वर्मा आर.ए.एस.

वादी
1.भंवरसिंह पुत्र पाबूसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी बूटीवास फौत होने से वारिसान
1.4 रतनसिंह पुत्र स्वर्गीय भंवरसिंह
1.5 नौरती पुत्री स्वर्गीय भंवरसिंह
1.6 राजू सिंह पुत्र स्वर्गीय भंवरसिंह फौत जिसके कायम मुकाम
1.3.1 विशाल पुत्र स्वर्गीय राजूसिंह
1.3.2 राजूकंवर पत्नि स्वर्गीय राजूसिंह जातिगण रावणा राजपूत निवासीगण बूटीवास तहसील रायपुर

बनाम

प्रतिवादी
1.सुगनाई पत्नी नारायणसिंह जाति दरोगा निवासी बूटीवास तह. रायपुर
2.पारससिंह पुत्र नारायणसिंह जाति दरोगा निवासी बूटीवास तह. रायपुर
3. समुन्द्रसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति दरोगा निवासी बूटीवास तह. रायपुर
4.गोरधनसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति दरोगा निवासी बूटीवास तह. रायपुर जिला पाली
5. श्रीमान तहसीलदार महोदय लैण्ड होल्डर तहसील रायपुर जिला पाली
6.श्रीमान उपपंजीयन अधिकारी महोदय उपपंजीयन कार्यालय सेन्दडा
7.श्रीमान जिला कलक्टर महोदय पाली
8जसवंतसिंह पुत्र कानसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी बगडी हॉल रायपुर जिला रायपुर

दावा बाबत् घोषणा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. काश्त. अधि.
राजस्व वाद 60/2014

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरूबरू हमारे व हाजरी श्री भूपैन्द्र सैन अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुदईव प्रतिवादीगण अनुपस्थित मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादीगण का वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा बूटिवास पटवार हल्का बूटीवास भू अभिलेख निरीक्षक बूटीवास के खसरा नम्बर. 270 रकबा 04 बीघा 09 बिस्वा चा.दो. खसरा नम्बर. 271 रकबा 05 बीघा 07 बिस्वा चा.दो.खसरा नम्बर. 272 रकबा 03 बीघा बिस्वा चा.दो.खसरा नम्बर. 274 रकबा 17 बीघा 14 बिस्वा चा.दो.खसरा नम्बर. 727 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा चा.दो.खसरा नम्बर. 728 रकबा 00 बीघा 01 बिस्वा गै.मु.खसरा नम्बर. 729 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा चा.दो.खसरा नम्बर. 730 रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा चा.दो.खसरा नम्बर. 784 रकबा 00 बीघा 12 बिस्वा बा.दो.खसरा नम्बर. 785 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा चा.दो. खसरा नम्बर. 786 रकबा 00 बीघा 16 बिस्वा चा.दो.खसरा नम्बर. 787 रकबा 20 बीघा 12 बिस्वा चा.दो.खसरा नम्बर. 788 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा गै.मु..खसरा नम्बर. 789 रकबा 20 बीघा 14 बिस्वा चा.दो.खसरा नम्बर. 790 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा चा.दो.खसरा नम्बर. 832 रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा चा.दो.खसरा नम्बर. 833 रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा चा.दो.खसरा नम्बर. 834 रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा चा.दो.खसरा नम्बर. 835 रकबा 10 बीघा 03 बस्वा गै.मु.खसरा नम्बर. 836 रकबा 08 बीघा 08 बिस्वा चा.दो.खसरा नम्बर. 837 रकबा 04 बीघा 17 बिस्वा चा.दो.खसरा नम्बर. 838 रकबा 05 बीघा 15 बिस्वा चा.दो.खसरा नम्बर. 839 रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा चा.दो.खसरा नम्बर. 840 रकबा 05 बीघा 19 बिस्वा चा.दो.खसरा नम्बर. 841 रकबा 16 बीघा 00 बिस्वा चा.दो. कुल खसरा 25 कुल रकबा 149 बिघा 01 बिस्वा में वादी को 1/8 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं साथ ही पटवार हल्का बूटीवास द्वारा भरे हुए नामान्तकरण संख्या 779 को तथा दिनांक 12.11.2013 द्वारा प्रतिवादीगण द्वारा करवाये गये पंजीयन को प्रभावशून्य घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। शेष खाता यथावत रहेगा। तदानुसार डिकी पर्चा बनाया जाकर पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को प्रेषित किया जावें।

गुलाब सिंह

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

नीज.....×.....मुबलिक.....×.....बाबत्.....×..... खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ... .×.....फीस सदी सालाना आज तारीख वसूल याबी तक .....×.....को अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 02.04.2025 को जारी किया गया।

(गुलाब सिंह वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

मुद्दई		रूपया	पै.	मुद्दयलह		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीनामा	—	04	00	स्टाम्प वकालतनामा	—	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	—	2	00	स्टाम्प हाजरी	—	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	—	00	00	मेहनताना वकील पर	—		
मेहनताना वकील	—			खर्चा गवाहान	—		
खर्चा गवाहान	—			फीस कमिश्नर	—		
फीस कमिश्नर	—			बाबत इजराय हुक्मनामा	—		
बाबत इजराय हुक्मनामा	—			मुतफरिक	—	00	00
मुतफरिक	—	6	00	मीजान		00	00
मीजान		12	00				

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावें।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)